

19.11.20

आज पत्रजली पेश हुई वकील उभाप  
पत्र उप. वाडी का मूल नोट का निवेदन  
दी चुका है। इसलिए प्र. पत्र उरुवाइ  
निषेधाज्ञा २१२ का अन्वय लाने का  
कोई औचित्य नहीं है। अतः प्र. पत्र  
२१२ उरुवाइ निषेधाज्ञा आरिष विपाजस्य  
नम्बर से काम की जाकर फ़ैसल शुमार

है।

  
उपखण्डाधिकारी  
वाडी (धौलपुर) राज.

